न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक) डीग

प्रकरण संख्याः– 160/2013 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2013/00013), पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. हरी सिंह पुत्र चतुर्भुज जाति जाट निवासी ग्राम गिरसै तहसील व जिला डीग(राज0)–मृतक,

1/1. सुखवीर सिंह पुत्र स्व0 हरी सिंह जाति जाट निवासी ग्राम गिरसै तहसील डीग

1/2. रामवीरी पुत्री हरी सिंह पत्नी सुन्दरलाल जाति जाट निवासी मथुरा(उ.प्र.)

1/3. श्रीमति पुत्री हरीसिंह पत्नी चौहल सिंह जाति जाट निवासी देविया का नगला तहसील गोबर्धन जिला मथुरा(उ.प्र.)

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

–प्रति0

दावा वावत उद्घोषणा अन्तर्गत
धारा 88,89 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 24.03.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बरान 1564/0.76,वाके ग्राम गिरसै तहसील डीग में स्थित है। विवादित आराजी को हाल बन्दोवस्त हाल में गत खसरा नम्बर 1306मिन/4–19 वाके ग्राम गिरसै तहसील डीग से बनाया गया है। आराजी खसरा नम्बर 1564/0.76 वाके ग्राम गिरसै तहसील डीग वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी सम्बत 2020 से पूर्व से वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है और इस समय भी वादी का उक्त आराजी पर बतौर खातेदार कब्जा काश्त है जो साविक खसरा नम्बर 1306मिन रकबा 4 वीघा 19 विस्वा से हाल बन्दोवस्त में बनाया गया है। वादी का उक्त आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार कब्जा होते हुए भी वादी को उक्त आराजी पर राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 1564/0.76 वाके ग्राम गिरसै तहसील डीग पर वादी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश फरमायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.04.2015 को पैरोकार सरकार द्वारा जबाव दावा पेश किया गया। जोकि शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दावा व जबाव दावा की प्लाडिंग के आधार पर दिनांक 14.12.2016 को तनीयात कायम की गईः–

3. आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
4. दादरसी?

साक्ष्य वादीगण में दिनांक 03.04.2017 को वादी हरी सिंह पीडब्ल्यू–1, व नत्थी पीडब्ल्यू–2 के बयान पंजीबद्व किये गये। दिनांक 26.07.2017 को साक्ष्य आगे नहीं कराये जाने पर साक्ष्य वादीगण बन्द की गई। दिनांक 20.07.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. को दिनांक 06.04.2021 को स्वीकार किया गया। दिनांक 06.07.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 जा.दी. को वादी द्वारा पेश किया गया,जोकि न्यायहित में सुनवाई उपरांत स्वीकार किया गया। दिनांक 02.05.2024 को संशोधित शीर्षक पेश किया गया। दिनांक 07.11.2024 को तहसीलदार डीग की रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 19.03.2025 को पैरोकार सरकार ने अपनी लिखित बहस पेश की गई तथा वकील वादी के द्वारा अपनी मौखिक बहस पेश की गई।

हमने वादी के वादपत्र, पैरोकार सरकार के जबाव दावे, गवाह पीडब्ल्यू–1 हरीसिंह, पीडब्ल्यू–2 नत्थी, पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड प्रदर्श–1जमाबन्दी सम्बत 2064 से 2069 हाल खसरा नम्बर 1564 रकबा 0.76 किस्म बारानी प्रथम हरी सिंह पुत्र चतुर्भुज कॉम फौजदार सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–2 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 अनुसार हाल खसरा नम्बर 1564/0.76 साविक खसरा नम्बर 1306 मिन रकबा 4 वीघा 19 विस्वा से मिलकर बना है। प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्बत 2024 से 2028 अनुसार साविक खसरा नम्बर 1306 मिन से हरी सिंह पुत्र चतुर्भुज कॉम फौजदार सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श– 4 प्रमाणित नकल नामा0 संख्या 366 संलग्न जमाबन्दी सम्बत 2024 दिनांक 30.06.1968 के द्वारा जरिये नियमन हरी सिंह पुत्र चतुर्भुज को गैर खातेदार दर्ज किया गया है। साविक खसरा नम्बर 1306 रकबा 4 वीघा 19 विस्वा माल प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी खरीफ सिमाल वर्ष 2021 सम्बत 2078 हाल खसरा नम्बर 1564 राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। पैरोकार सरकार की लिखित बहस एवं वादी वकील की बहस का मनन किया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः–

तनकी संख्याः–1, आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्बत 2064 से 2069 में हाल खसरा नम्बर 1564 रकबा 0.76 किस्म बारानी–I हरी सिंह पुत्र चतुर्भुज कॉम फौजदार सा0 देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श–2 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 अनुसार हाल खसरा नम्बर 1564/0.76 साविक खसरा नम्बर 1306 मिन रकबा 4 वीघा 19 विस्वा से मिलकर बना है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्बत 2024 सा0देह गैर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–4 प्रमाणित नकल नामा0 संख्या 366 संलग्न जमाबन्दी सम्बत 2024 दिनांक 30.06.1968 के द्वारा साविक खसरा नम्बर 1306मिन रकबा 4 वीघा 19 विस्वा किस्म माल का जरिये नियमन वादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया है। दिनांक 050.11.2024 की तहसीलदार डीग की रिपोर्ट जो शामिल पत्रावली है के अनुसार मुताविक राजस्व रिकार्ड हाल खसरा नम्बर 1564 ग्राम गिरसै में रामवीरी पुत्र हरीसिंह श्रीमति पुत्री हरी सिंह,सुखवीर पुत्र हरीसिंह जाति जाट रहन पीएनबी शाखा डीग गैर खातेदार दर्ज है। मौके पर वादीगण का ही उक्त खसरा नम्बर में कब्जा काश्त है। खरीफ की फसल बोई जा रही है। वर्तमान सरसों की फसल है। पैरोकार सरकार का कथन है कि पत्रावली में आवंटन आदेश संलग्न नहीं है। दावा वादीगण स्वत्व घोषणा सिद्व करने में सफल रहे है। तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–2,दादरसी?

उभय पक्ष अपना अपना वाद खर्च स्वयं वहन करें।

तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। उपर्युक्त विवरण अनुसार हम दावा वादीगण को स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश है किः–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर **स्वीकार** किया जाकर डिक्री किया जाता है। नवीन आराजी खसरा नम्बर 1564/0.76 वाके ग्राम गिरसै तहसील जनूथर बावत आराजी पर वादीगण को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज गैर खातेदार के इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वादीगण पर कोई नियमानुसार राजकीय शुल्क तो बकाया नहीं है,अगर राजकीय शुल्क बकाया हो तो सम्बन्धित वादीगण से नियमानुसार शुल्क/राशि जमा राजकोष कराई जाकर वर्णित आराजी का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को खुल न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner